न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या : 61 / 2021 **RCMS 2019/00114**

वादी

1. गोपाललाल पुत्र उमाराम जाति कुमावत उम्र 50 वर्ष
2. रतनलाल पुत्र उमाराम जाति कुमावत उम्र 48 वर्ष
3. लालाराम पुत्र उमाराम जाति कुमावत उम्र 56 वर्ष निवासीगण खाण्डली कोठी, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी तहसील जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. घासीराम पुत्र कुनणाराम
2. जैसाराम पुत्र कुनणाराम
3. तुलछीराम पुत्र कुनणाराम
4. धन्नाराम पुत्र कुनणाराम
5. नारायणलाल पुत्र कुनणाराम
6. बिरदाराम पुत्र कुनणाराम जाति समस्त कुमावत निवासीयान खाण्डली कोठी, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)

दावा– अधिकारो की घोषणा रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89 R.T.Act 1955 सपठित धारा 131 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
श्री रणवीर कुमावत अधिवक्ता प्रति. 1 से 6 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 16/09/2022

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम जसराना के खसरा नम्बर 433 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 434 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 436 रकबा 4.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.29 हैक्टर कुल रकबा 5.79 हैक्टर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के पिता उमाराम, कुनणाराम पि. परसाराम के खातेदारी में अवस्थित रही है, वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के पिता ने आपसी सहमति से उक्त भूमि का बंटवारा कर लिया, बंटवारे में वादीगण के हिस्से में खसरा नम्बर 433 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 771 / 436 रकबा 1.86 हैक्टर रखी गई एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के हिस्से में खसरा नम्बर 435, 553, 436 रखी गई तथा खसरा नम्बर 434 वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 6 के शामलाती में रखा गया, खसरा नम्बर 433 रकबा 1.00 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

में से 0.74 हैटर भूमि सड़क के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग में अवाप्त कर ली गई जिससे खसरा नम्बर 433 के टुकड़े कर दिये गये एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में खसरा नम्बर 741/433 रकबा 0.74 हैक्टर कायम हुआ, कस्बा कुचामनसिटी में मेगा हाईवें किशनगढ़ से हनुमानगढ़ का बाईपास निकाला गया जिसमें खसरा नम्बर 433 में से 0.74 हैक्टर भूमि अवाप्त कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम खसरा नम्बर 741/433 रकबा 0.74 हैक्टर कायम किये गये, राजस्व अधिकारियों एवं पटवारी हल्का ने राजस्व नक्शें में उक्त खसरा नम्बर 741/433 तरमीम कर दिया, वादीगण के खसरा नम्बर 433 में से लगभग 0.06 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 741/433 के पूर्व दिशा में कुचामनसिटी की तरफ शेष रही जो राजस्व नक्शें में स्पष्ट दिखाई देती है परन्तु राजस्व अधिकारियों ने वादीगण की इस बची हुई 0.06 हैक्टर भूमि को कोई नम्बर नक्शे में अंकित नही किया गय जो मात्र एक लिपिकीय त्रुटि है, वाद के साथ नक्शे में उक्त स्थान मार्क "A" "B" "C" से दर्शाया गया है, वाद के संलग्न नक्शा परिशिष्ट " क " है जो इस वाद का अभिन्न अंग है, राजस्व नक्शे के डायग्राम में खसरा नम्बर 433 का रकबा 0.26 हैक्टर नही होकर 0.20 हैक्टर है जबकि खतौनी में खसरा नम्बर 433 का रकबा 0.26 हैक्टर अंकित किया गया है, जो एक लिपिकीय त्रुटि है, पटवारी हल्का ने वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के मध्य सहमति से बंटवारा किया गया उस समय खसरा नम्बर 436 की तरमीम भी गलत की है, खसरा नम्बर 436 के टुकड़े करते समय खसरा नम्बर 771/436 की पश्चिमी सींव हल्का पटवारी द्वारा गलती से तिरछी कर दी गई जो वास्तव में सीधी है, सही स्थिति नरजरी नक्शा परिशिष्ट " क " वाद के साथ संलग्न प्रस्तुत की गई है, खसरा नम्बर435 गै.मु.ढ़ाणी है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 6 के मकानात आये हुये है, राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 435 गै.मु.ढ़ाणी रकबा 0.09 हैक्टर प्रतिवादी 1 ता 6 के खातेदारी में अंकित कर दी गई है जबकि वास्तव में खसरा नम्बर 435 में 1/2 हिस्सा वादीगण के कब्जे में है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के कब्जे में है इसी माफिक खातेदारी में दर्ज की जावे, खसरा नम्बर 741/433 से पूर्व में कुचामन की तरफ खसरा नम्बर 433 की 0.06 हैक्टर भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में है, परन्तु इस डायग्राम में राजस्व नक्शें में कोई नम्बर अंकित नही होने के कारण वादीगण को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, बिनाय दावा राजस्व नक्शें में गलत अंकन होने एवं इसका ज्ञान अभी दस रोज पूर्व वादीगण को होनरे पर बमुकाम ग्राम जसराना में पैदा हुआ। वादीगण की इस्तदुआ है कि वाद पत्र के संलग्न परिशिष्ट " क " में दर्शित मार्क "A" "B" "C" भाग 0.06 हैक्टर वादीगण की खातेदारी का ग्राम जसराना के खसरा नम्बर 433 का भाग है जो वादीगण की खातेदारी का है तथा राजस्व नक्शे में डायग्राम में खसरा नम्बर अंकित किये जाने का आदेश फरमावें एवं यह भी घोषित फरमाया जावे खसरा नम्बर 433 का रकबा 0.20 हैक्टर है तथा परिशिष्ट " क " में दर्शित मार्क "A" "B" "C" भाग

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

0.06 हैक्टर वादीगण की खातेदारी की है, परिशिष्ट " क " के माफिक राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 771/436 की पश्चिमी सींव को तरमीम किये जाने का आदेश फरमाया जावें एवं खसरा नम्बर 435 गै.मु.ढ़ाणी रकबा 0.09 हैक्टर में वादीगण की 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 6 का 1/2 हिस्सा घोषित फरमाया जावें। माफिक आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु आदेश प्रदान करावें।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी सं. 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वाद को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 7 अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इकबाली जवाब में कथन किया है कि राजस्व अधिकारियों व हल्का पटवारी ने राजस्व नक्शें में उक्त खसरा नम्बर 741/433 तरमीम कर दिया, वादीगण के खसरा नम्बर 433 मे से 0.06 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 741/433 के पूर्व दिशा में कुचामनसिटी की तरफ शेष रही जो राजस्व नक्शे में स्पष्ट दिखाई देती है, परन्तु राजस्व अधिकारियों ने वादीगण की इस बची हुई 0.06 हैक्टर भूमि को कोई नम्बर नक्शें में अंकित नही किया गया जो मात्र एक लिपिकीय त्रुटि है, वाद के साथ संलग्न नक्शे में उक्त स्थान मार्क परिशिष्ट " क " में दर्शित मार्क "A" "B" "C" से दर्शाया गया है, वाद के साथ संलग्न परिशिष्ट " क " के अनुसार वाद डिक्री किया जाता है तो इसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 6 को इसमें कोई आपत्ति नही है। दौराने सुनवाई वादीगण ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत ओदश 26 नियम 9 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर मौका कमिश्नर नियुक्त कर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगाये जाने का प्रस्तुत किया गया, प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई कर निरीक्षक भू-अभिलेख कुचामनसिटी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका वस्तु स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2020/279 दिनॉक 14.02.2020 को निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में निरीक्षक भू.अ.कुचामनसिटी द्वारा पटवारी हल्का रूपपुरा के साथ संयुक्त रूप से मौका रिपोर्ट दिनॉक 24.02.2020 को तैयार कर इस न्यायालय में दिनॉक 26.02.20 को प्रस्तुत की जो शामिल मिसल उपलब्ध है।

दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी नकल सम्वत 2067-2070, 2071-2074, 2075-2078, नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत की है। मौखिक साक्ष्य में वादी लालाराम का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई, वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, जमांबदी नकल सम्वत 2067-2070 अनुसार ग्राम जसराना के खसरा नम्बर 433 रकबा 0.26 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 434 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.09 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नम्बर 436 रकबा 4.37 हैक्टर बारानी तृतीय जाव तृतीय चाही तृतीय, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.29 हैक्टर बारानी तृतीय कुल रकबा 5.02 हैक्टर में कुनणाराम उमाराम पि. परसाराम जाति कुम्हार नि. खांडली कोठी खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा कुचामन मूर्तहीन दर्ज है तथा नामा. सं. 497 दि. 5.10.14 के द्वारा विरासत एवं हक त्याग से कुनणाराम के स्थान पर बिरदाराम जैसाराम घासीराम नारायणलाल तुलछीराम धन्नालाल पि. कुनणाराम 1/2 जाति कुमावत सा. खांडली कोठी दर्ज किया गया शेष खाता बदस्तूर रहा, नामा. 520 दिनॉक 27.5.2016 के द्वारा खाता विभाजन किया गया, बिरदाराम जैसाराम घासीराम नारायणलाल तुलछीराम धन्नालाल पि. कुनणाराम खसरा नम्बर 435 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 436 रकबा 2.51 हैक्टर कुल 2.89 हैक्टर, उमाराम पुत्र परसाराम खसरा नम्बर 433 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 771/436 रकबा 1.86 हैक्टर कुल 2.12 हैक्टर दर्ज हुआ तथा खसरा नम्बर 434 रकबा 0.01 हैक्टर में उमाराम पुत्र परसाराम बिरदाराम जैसाराम घासीराम नारायणलाल तुलछीराम धन्नालाल पि. कुनणाराम कुम्हार दर्ज किया गया। नकल खतौनी सम्वत 2071–2074 ग्राम जसराना के खसरा नम्बर 433 रकबा 0.26 हैक्टर खसरा नम्बर 434 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.29 हैक्टर कुल रकबा 5.02 हैक्टर में कुनणाराम उमाराम पि. परसाराम जाति कुम्हार सा. खांडली कोठी खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा कुचामन मूर्तहीन दर्ज है, खसरा नम्बर 741/433 रकबा 0.74 हैक्टर गै.मु.सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2075–2078 ग्राम जसराना के खसरा नम्बर 433 रकबा 0.26 हैक्टर खसरा नम्बर 771/436 रकबा 1.86 हैक्टर कुल रकबा 2.12 हैक्टर में गोपाललाल रतनलाल लालाराम पि. उमाराम कुमावत 1/3 –1/3 के बराबर खातेदार दर्ज है, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 436 रकबा 2.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.29 हैक्टर कुल रकबा 2.89 हैक्टर में घासीराम जैसाराम तुलछीराम धन्नाराम नारायणलाल बिरदाराम पि. कुनणाराम कुमावत 1/6 –1/6 बराबर हिस्सेदार दर्ज है। निरीक्षक भू. अ. कुचामनसिटी एवं पटवारी हल्का रूपपुरा की संयुक्त मौका रिपोर्ट 24.02.2020 अनुसार खसरा नम्बर 433 मेगा हाईवे के मध्य सीमा से 100 फीट बाद नापने से रकबा 0.20 हैक्टर भूमि मौके पर है, मेगा हाईवे खसरा नम्बर 741/433 के मध्य से 100 फीट पूर्व में नापने के बाद खसरा नम्बर 433 की शेष भूमि 0.06 हैक्टर मौके पर है, खसरा नम्बर 771/436 की **A To B** बिन्दू तक 60 फीट लम्बी तथा **B To C** 272 फीट लम्बी है। नजरी नक्शे में पूर्वी तरफ नक्शे में खसरा नम्बर खाली बताया गया है। प्रस्तुत नक्शा ट्रेस की पटवारी हल्का द्वारा जारी नकल दिनॉक 01.08.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 641/433 के पास दक्षिणी पूर्वी कोण में आकृति △ में खसरा नम्बर अंकित नही है। रिपोर्ट निरीक्षक भू.अ.कुचामनसिटी एवं पटवारी हल्का रूपपुरा की संयुक्त मौका रिपोर्ट 24.02.2020

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

अनुसार खसरा नम्बर 433 रकबा भी 0.20 हैक्टर नाप चौक करने पर बताया गया है जबकि जमाबंदी में खसरा नम्बर 433 का रकबा 0.26 हैक्टर अंकित है, अतः खसरा नम्बर 433 का रकबा 0.26 के स्थान पर 0.20 हैक्टर किये जाने तथा शेष रकबा 0.06 हैक्टर उपरोक्त नक्शा ट्रेस में अंकित स्थान पर दर्ज किये जाने तथा नये खसरा नम्बर अंकित किये जाने के पुष्टि स्पष्ट रूप से साबित होती है, साथ ही बंटवारे के समय खसरा नम्बर 435 रकबा 0.09 हैक्टर गै.मु.ढ़ाणी में वादीगण 1/2 तथा प्रतिवादीगण 1 ता 6 को 1/2 हिस्से के खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष भी स्वीकार योग्य है चूँकि प्रतिवादी 1 ता 6 ने इकबाली जवाब में कथन स्वीकार किया गया है। खसरा नम्बर 771/436 की पश्चिमी सींव का अनुतोष नही दिया जा सकता, चूँकि नक्शा ट्रेस के अनुसार स्थिति सही है। मौका रिर्पोट दिनॉक 24.02.2020 में मौका कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया है कि खसरा नम्बर 433 का रकबा मौके पर 0.20 हैक्टर ही है तथा मेगा हाईवे के मध्य बिन्दू से 100 फीट की दूरी पर पूर्वी दक्षिणी कोणे में 0.06 हैक्टर भूमि है जिसमें खसरा नम्बर अंकित नही है। अतः वाद उपलब्ध रेकार्ड मौका रिपोर्ट 24.02.2020 एवं जमाबंदी एवं प्रस्तुत नक्शा ट्रेस नकल 01.08.2018 अनुसार साबित होने से डिक्री किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री कर घोषणा की जाती है कि प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार ग्राम जसराना के खसरा नम्बर 433 रकबा 0.26 हैक्टर के स्थान पर खसरा नम्बर 433 रकबा 0.20 हैक्टर वादीगण के खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा शेष रकबा 0.06 हैक्टर नक्शा ट्रेस में रिक्त स्थान पर नये खसरा नम्बर अंकित कर वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.09 हैक्टर में वादीगण को 1/2 तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 6 को 1/2 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा एवं मौका रिपोर्ट दिनॉक 24.02.2020 डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट शीघ्र इस न्यायालय में प्रस्तुत करे, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें।

आदेश आज दिनॉक 16/09/2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी
बइजलास : बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या : 61/2021 RCMS 2019/00114
वादी
1. गोपाललाल पुत्र उमाराम जाति कुमावत उम्र 50 वर्ष
2. रतनलाल पुत्र उमाराम जाति कुमावत उम्र 48 वर्ष
3. लालाराम पुत्र उमाराम जाति कुमावत उम्र 56 वर्ष निवासीगण खाण्डली कोठी, कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण
1. घासीराम पुत्र कुनणाराम
2. जैसाराम पुत्र कुनणाराम
3. तुलछीराम पुत्र कुनणाराम
4. धन्नाराम पुत्र कुनणाराम
5. नारायणलाल पुत्र कुनणाराम
6. बिरदाराम पुत्र कुनणाराम जाति समस्त कुमावत निवासीयान खाण्डली कोठी, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)

दावा–अधिकारो की घोषणा रेकर्ड दुरूस्ती अ. धारा 88, 89 R.T.Act 1955 सपठित धारा 131 RLR Act 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी मिनजानिब मुदई रू–बरू रणवीर कुमावत अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री कर घोषणा की जाती है कि प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार ग्राम जसराना के खसरा नम्बर 433 रकबा 0.26 हैक्टर के स्थान पर खसरा नम्बर 433 रकबा 0.20 हैक्टर वादीगण के खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा शेष रकबा 0.06 हैक्टर नक्शा ट्रेस में रिक्त स्थान पर नये खसरा नम्बर अंकित कर वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.09 हैक्टर में वादीगण को 1/2 तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 6 को 1/2 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा एवं मौका रिपोर्ट दिनॉक 24.02.2020 डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट शीघ्र इस न्यायालय में प्रस्तुत करे, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें।

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 16 माह 09 सन् 2022 को जारी की गई।

(मुहर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तखत
हाकिम
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सेवा में 1

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विषय :- राजस्व वाद 61/2019 गोपाललाल बनाम घासीराम वगैरह में मौका रिपोर्ट प्रेषित करने बाबत

प्रसंग :- आपका पत्रांक/कोर्ट/2020/279 दि. 14-2-2020

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि ग्राम जसराना के ख.न. 433, 771/436, 741/433 की पक्षकारो की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर श्रीमानजी की सेवामें सादर प्रेषित है।

(हस्ताक्षर)
ICR कुचामनसिटी
25-2-2020

शा० पत्रा० रहे।
(हस्ताक्षर)
26/2/2020.

मौका रिपोर्ट

Ex 3
21/3/22

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक/कोर्ट/2020/279/दिनांक 14-2-2020 की पालना में राजस्व वाद सं. 61/2019 गोपाललाल बनाम घासीराम वगैरह में मौके की वास्तविक स्थिति एवं मेगा हाइवे के मध्य से दूरी, राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस इत्यादि की रिपोर्ट बाबत हमराह हल्का पटवारी रूपपुरा के वादीगण एवं प्रतिवादी गण की उपस्थिति में आज दिनांक 24-2-2020 को मौका निरीक्षण किया गया जो नजरी नक्शा अनुसार निम्न प्रकार से है! -

ग्राम जसराना के ख.नं. 433, 771/436, 751/433

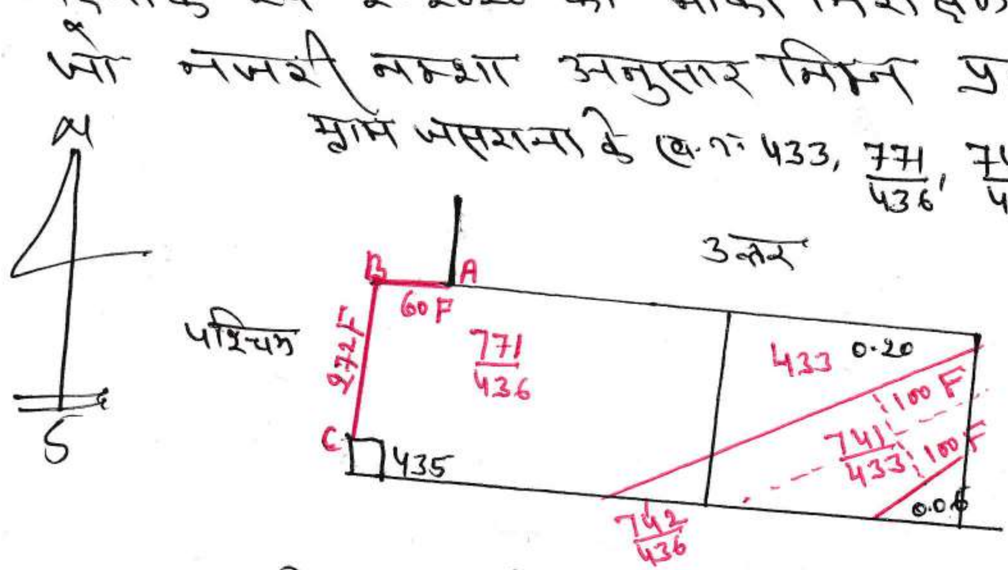

1. जसराना के राजस्व रेकार्ड अनुसार ख.नं. 433 रकबा 0.26 हे० ख.नं. 771 रकबा 1.86 हे की खातेदारी गोपाललाल 1/3, रतनलाल 1/3, लालाराम 1/3 पि० उमाराम जाति कुमावत कुचामनसिटी हाल बाण्डेल कोठी के नाम दर्ज है।
2. ख. नं. 751/433 रकबा 0.75 हे० सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है।
3. ख. नं० 433 मेगा हाइवे के मध्य सीमा से 100 F (फीट) बाद नापने से रकबा 0.20 हे० भूमि मौके पर है।
4. मेगा हाइवे ख.नं. 751/433 के मध्य से 100 फीट पूर्व में नापके के बाद ख.नं. 433 की शेष भूमि 0.06 हे मौके पर है।
5. ख. नं० 771/436 की A से B बिन्दु तक 60 फीट लम्बी तथा B to C 272 फीट लम्बी है। अतः फर्द तैयार कर रूबरू पक्षकार के हस्ताक्षर करवाये गये।

A लालाराम B घासीराम

24-02-2020
पटवारी - रूपपुरा

गोपाललाल
कुचामनसिटी
24-2-2020